पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक [illegible] को पेश हो।

पत्रावली पेश हुयी। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/3/24 को पेश हो।

15/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। PO साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2/5/24 को पेश हो।

[illegible]/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित PO साहब दीगर कार्य में व्यस्त है, पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/06/24 को पेश हो।

[illegible]/24 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित। अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। ग्राम पाटन भू.अ.निरीक्षक पाटन के खाता संख्या नयाध 174 के अन्य समस्त खातेदारान की ओर से श्री हंसराज गुर्जर एडवोकेट ने वकालतनाम व मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2023 अनुसार पत्थरगढी करने का सहमति पत्र पेश किया। पत्थरगढ़ी करने हेतु अपने हस्ताक्षर किये। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तहसील पाटन भूमि खसरा नं. 535, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543 कुल किता 08 कुल रकबा 1.82 हैक्ट0 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अत प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रा0 पत्र 638/2023

निर्णय दिनांक 13.06.2024

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तहसील पाटन भूमि खसरा नं. 535, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543 कुल किता 08 कुल रकबा 1.82 हैक्ट0 की प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2023 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार पाटन को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 15:26:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner